

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के निम्नलिखित का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 के लिए राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहारों और राज्य वित्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु एवं महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के संक्षिप्त परिदृश्य के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजटीय उद्देश्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ, राजस्व और व्यय अनुमान, विविधताओं के कारणों और उसके प्रभाव आदि पर प्रकाश डालता है।

वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी०), 10.10 प्रतिशत की औसत वृद्धि से वर्ष 2018–19 के ₹ 5,27,976 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 7,51,396 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय (व्यय) 2018–19 के ₹ 1,60,317.66 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 2,35,176.84 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021–22 की तुलना में जीएसडीपी० में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 08.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जीएसडीपी० की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021–22 के 24.42 प्रतिशत से गिरकर 2022–23 में 22.98 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में राजस्व संग्रह में 10.55 प्रतिशत और राज्य के स्व कर संग्रह में पूर्व वर्ष 2021–22 की तुलना में 26.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2021–22 के ₹ 1,84,377 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹ 2,17,553 करोड़ हो गया जो 17.99 प्रतिशत था। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2021–22 की तुलना में 15.55 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। राजस्व घाटा 2,572.12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021–22 के ₹ 422.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,288.20 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा 2021–22 के ₹ 25,551.26 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में 75.43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 44,823.30 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों में राज्य के हिस्से का अंतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान का अंतरण एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति सृजन, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) भी शामिल है।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक राजस्व प्राप्तियाँ 8.46 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 1,31,794 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,72,688 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 20,493 करोड़ से बढ़कर ₹ 48,325 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी 2018–19 के 18.70 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 16.81 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 22,237.18 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती

है। राजस्व व्यय 2018–19 से 2022–23 के दौरान ₹ 1,24,897 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 23.66 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,83,976 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 24.48 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (84.57 से 90.67 प्रतिशत) रहा, और 12.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। बिहार का राजस्व अधिशेष राज्य, वर्ष 2018–19 में ₹ 6,896.64 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 1.31 प्रतिशत) से धीरे-धीरे घटकर चालू वर्ष में राजस्व घाटा ₹ 11,288 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का (−)1.50 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय ₹ 31,520 करोड़ किया। यह वर्ष 2022–23 में कुल व्यय का 14.49 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय कुल उधारी का 24.26 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई शेष निधियों का उपयोग पूँजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग को पूरा करने एवं उधार की वापसी के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018–19 के ₹ 13,806.76 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 2.62 प्रतिशत) से बढ़कर 2022–23 में ₹ 44,823.30 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 5.97 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा है। प्रतिबद्ध व्यय, संसाधनों पर सबसे पहले भारित होते हैं और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 34.30 से 38.66 प्रतिशत, 2018–19 (36.85 प्रतिशत) और 2022–23 (34.30 प्रतिशत) था। प्रतिबद्ध व्यय में 9.0 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई, अर्थात्, 2018–19 के ₹ 46,021.46 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 63,107.43 करोड़ { 2021–22 के सापेक्ष 9.55 प्रतिशत (₹ 57,604.03 करोड़) की वृद्धि} लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें सुधार परिलक्षित हुआ।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रमुख भाग

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति है, जो 2018–2019 के ₹ 8,323.97 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹ 14,827.79 करोड़ अर्थात् 2018–19 में कुल राजस्व व्यय का 6.66 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 8.06 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का हिस्सा सर्वाधिक था, जो 68.92 प्रतिशत से लेकर 82.43 प्रतिशत तक था।

गैर-बजट उधारी

राज्य सरकार ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से ₹ 686.77 करोड़, गैर-बजट उधारी के रूप में जुटाए जो राज्य की समेकित निधि के माध्यम से प्रचालित नहीं थे, तथापि बजट के माध्यम से इसे चुकाए जाने और पूर्ति करने की आवश्यकता होगी।

गारंटी के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वित्तीय वर्ष 2022–23 तक, सरकार ने ₹ 25,939.25 करोड़ के ब्याज सहित उधार के सापेक्ष गारंटी प्रदान की थी। विगत पांच वर्षों के दौरान ये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 4.17 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 0.94 प्रतिशत से 3.86 प्रतिशत तक थीं।

केंद्रीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ०आर०बी०एम०) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के महेनज़र, बिहार ने निर्धारित सीमा को पार करते हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान अपनी जी०एस०डी०पी० की 0.5 प्रतिशत की सीमा से अधिक दर्ज किया है। वर्ष 2022–23 में बकाया गारंटी जी०एस०डी०पी० का 3.45 प्रतिशत थी। बिहार सरकार ने अपनी संस्थाओं को गारंटी प्रदान की, लेकिन लाभुकों द्वारा किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, न केवल राजस्व का कम संग्रहण हुआ, बल्कि भारत सरकार लेखा मानक–1 (आई०जी०ए०एस०–1) का भी उल्लंघन हुआ।

राजकोषीय स्थायित्व

राजकोषीय स्थायित्व की जांच, वृहत् राजकोषीय मापदंडों जैसे घाटे, ऋण एवं देयताओं के स्तर, गैर–बजट उधारी प्रतिबद्धताओं, गारंटियों, सब्सिडियों आदि के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के बेमेल संबंध का मामला है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनमनीय व्यय, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि एवं अन्य अनमनीय व्यय से उत्पन्न होने वाले व्यय, यथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि शामिल थे।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) की बाध्यताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है, जिनके अधीन ही राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) के प्रतिशत में होनी चाहिए। वर्ष 2022–23 में राज्य को राजस्व अधिशेष के लक्ष्य के प्रतिकूल राजस्व घाटा हुआ है; राजकोषीय घाटा चार प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 5.97 प्रतिशत और ऋण 40.80 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 39.03 प्रतिशत था।

इसके अलावा, यदि गैर–बजट उधारी की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देनदारी (सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक लेखा देनदारियाँ शामिल) जी०एस०डी०पी० का 39.13 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, बिहार सरकार का सार्वजनिक ऋण 2018–19 से 2022–23 के बीच बकाया सार्वजनिक ऋण का औसतन 16.23 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बिहार का सार्वजनिक ऋण—जी०एस०डी०पी० अनुपात 2018–19 के 23.89 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 32.32 प्रतिशत हो गया, जो ऋण स्थिरीकरण में जोखिम को इंगित करता है।

बिहार 2018–19 से 2022–23 की अवधि में प्राथमिक घाटे वाला राज्य रहा है। वितीय वर्ष 2020–21 को छोड़कर वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की पूरी अवधि के दौरान डोमार गैप (जी०–आर०) सकारात्मक था। डोमार मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों ने, वर्ष 2020–21 को छोड़कर, ऋण स्थिरता (जी०–आर०>0) की शर्त को पूरा किया। डोमार गैप (जी०–आर०) ने कोविड–19 अवधि के बाद पिछले दो वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की है, जहाँ डोमार गैप नकारात्मक (2020–21 में) था।

हालांकि वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान, डोमार गैप (जी०–आर० के रूप में व्यक्त) सकारात्मक था, और इसका मूल्य भी पिछले वर्षों से बढ़ गया था, प्राथमिक घाटा स्थिर नहीं था और 2022–23 में, पिछले वर्ष की तुलना में दो गुणा से अधिक बढ़ गया। इसके अलावा, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा उधार के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो 2018–2023 की अवधि के दौरान 68.82 प्रतिशत और 83.55 प्रतिशत के बीच था।

बजट कार्यकुशलता

समग्र व्यय उत्पादकता (बजट अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजटीय आशय और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच, यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि के सापेक्ष आधिक्य और बचत दोनों प्रकार से उत्पादकता की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 2.46 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा तीन अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (+) 4.84 प्रतिशत था। यह सात अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा पांच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड की 19 अनुदानों में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना की उत्पादकता (पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजट निष्पादन इस बात से भी दिखाई देती है कि निष्पादन के दौरान बजट अनुमान (ब0अ0) बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0) और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को मापता है। राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादकता का विचलन (-) 19.85 प्रतिशत था। यह 31 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड में, पुन0अ0 की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 14.58 प्रतिशत था। यह 11 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

समग्र बजट उत्पादकता, इस तथ्य को रेखांकित करता है कि निष्पादन के दौरान मूल बजट श्रेणियों में संवर्धन ने व्यय की संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान किया है।

राजस्व खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 21.65 प्रतिशत था। यह 30 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 23.57 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा आठ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022–23 के दौरान 22 मामलों में ₹ 18,491.79 करोड़ के पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं हुआ।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि हालांकि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ—साथ वास्तविक व्यय और कुल बजट के बीच अंतर 22 प्रतिशत से अधिक था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक का विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में पूरक अनुदान ऐसे थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। इस तरह के विचलन से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजटीय कार्यप्रणाली की आवश्यकता है।

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन उन वस्तुओं, संव्यवहार और घटनाओं को समाहित करता हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमज़ोरियों और उन लेखांकन अभिलेख या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखे और वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों, जैसे सरकारी लेखे के बाहर निधि का पड़े रहना, देनदारियों का निर्वहन न करना, ऑकड़े के अंतराल और संव्यवहार का गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

समाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार की पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों के साथ अपने मासिक/त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने कुल प्राप्तियों के 17.11 प्रतिशत तथा कुल व्यय के 24.23 प्रतिशत का समाशोधन नहीं किया।

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों की आवश्यकता के संदर्भ में, राज्य सरकार ने आई०जी०ए०एस०-1: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति, आई०जी०ए०एस०-2: सहायता अनुदान (जी०आई०ए०) का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आई०जी०ए०एस०-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, का अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खातों का संचालन

सरकार ने ₹ 1.54 करोड़ के संयुक्त शेष वाले 05 पी०डी० खातों को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी०एफ०एम०एस०) में स्थानांतरित नहीं किया है।

एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) को निधि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी०एस०एस०) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एस०एन०ए० के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।

वित्त लेखा 2022–23 के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने कोषागार खातों में वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹ 22,481.46 करोड़ प्राप्त किये। 31 मार्च 2023 तक सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त केंद्रांश ₹ 22,231.91 करोड़ और राज्यांश ₹ 14,190.40 करोड़ एस०एन०ए० को अतरित किए। हालांकि, पी०एफ०एम०एस० के अनुसार, भारत सरकार ने एस०एन०ए० के तहत सी०एस०एस० के लिए ₹ 24,398.36 करोड़ जारी किये थे। कुल हस्तांतरित ₹ 36,422.31 करोड़ में से, ₹ 745.69 करोड़ ए०सी० बिल के माध्यम से, ₹ 52.99 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफा के बिल से,

₹ 5,996.11 करोड़ पूर्ण हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल और ₹ 29,627.52 करोड़ सहायता अनुदान बिल के माध्यम से हस्तांतरित किए गए जो भारत सरकार के निर्देशों के विरुद्ध था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0)

निर्धारित समयावधि के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 87,947.88 करोड़ के 41755 यू0सी0 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को प्राप्त नहीं हुए थे।

सार आकस्मिक (ए0सी0) बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) बिल

सार आकस्मिक (ए0सी0) बिल के माध्यम से निकाले गए अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 7,489.05 करोड़ के 27392 ए0सी0 बिल, डी0सी0 बिल जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से, ₹ 6,450.17 करोड़ के 26574 ए0सी0 बिल, 2021–22 की अवधि से संबंधित थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अनुदान के विरुद्ध, यू0सी0 समय पर जमा न करना, ए0सी0 बिल के विरुद्ध, डी0सी0 बिल जमा न करना, आई0जी0ए0एस0 का अनुपालन न करना, और एस0एन0ए0 से व्यय के व्यौरे की आपूर्ति न होने से लेखे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बिहार में तीन सांविधिक निगमों एवं 69 सरकारी कम्पनियों (39 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों सहित) तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित 76 एस0पी0एस0ई0 थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 59 एस0पी0एस0ई0, जिनके 1133 लेखे बकाए थे, द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया गया था। 16 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित कुल ₹ 317.65 करोड़ के लाभ में से, 57.84 प्रतिशत का योगदान केवल तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा दिया गया था। 15 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई कुल ₹ 2,847.74 करोड़ की हानि में से, ₹ 2,798.28 करोड़ की हानि का वहन पाँच उद्यमों के द्वारा किया गया था। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान इन उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, लाभप्रदता पर ₹ 568.65 करोड़ एवं वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,154.13 करोड़, था।

राज्य सरकार एस0पी0एस0ई0 के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है जिससे वह अपनी वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, ऐसे एस0पी0एस0ई0 में सरकारी निवेश राज्य विधान मंडल के पर्यवेक्षण से बाहर हैं। राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले उद्यमों में हानियों के कारणों का विश्लेषण करते हुए इनके संचालन को कुशल तथा लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
